2

बच्चों को किसी कक्षा में नहीं रोके जाने का औचित्य
सतत एवं समग्र मूल्यांकन के संदर्भ में

मीना सहरावत*

नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार कोई भी बच्चा जिसका स्कूल में दाखिला हो गया है उसको किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और न ही निकाला जाएगा जब तक कि वह अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर लेता है। कई शिक्षक 'अनावरोधन' का अर्थ 'कोई परीक्षण नहीं' के रूप में लगाते हैं और बच्चों का मूल्यांकन बिल्कुल नहीं करते, जिसके परिणामस्वरूप जब तक बच्चे प्राथमिक स्तर की अंतिम कक्षा में नही पहुँच जाते, प्रायः किसी को भी उनके सीखने की स्थिति का पता नहीं होता। यदि बच्चों का मूल्यांकन नहीं करें और उनको कक्षोन्नति कर दें तो क्या यह शिक्षा की गुणवत्ता पर असर नही डालेगा? उपरोक्त के संदर्भ में यहाँ पर एक प्रश्न उठ रहा है कि क्या बच्चों को उसी कक्षा में रोका जाए? प्रस्तुत लेख के अनुसार यदि किसी बच्चे को कक्षा में फ़ेल कर दिया जाता है तो यह उसके लिए सज़ा है। सामाजिक भेदभाव के कारण ज़्यादा संभावना यह है कि बच्चा स्कूल आना ही बंद कर दे।

अनावरोधन नीति के पीछे शैक्षिक दर्शन यह है कि बच्चा नियमित रूप से यदि विद्यालय आता है तो उसके सीखने के स्तर को लगातार परखा जाए और यदि उसको सीखने में दिक्कत आती है तो समस्या ज़रूरी नहीं कि बच्चे में है यह कहीं और भी हो सकती है। इसके लिए बच्चे को फ़ेल करने की सज़ा नही देनी चाहिए। विद्यालय को बच्चे के सीखने में आई दिक्कत को खोज कर सुधार हेतु कार्य करने चाहिए। इस तरह की प्रक्रिया तभी संभव है जब बच्चे का पूरी तरह से सतत एवं समग्र मूल्यांकन किया जाए।

सीखने की संप्राप्ति केन्द्रित सतत एवं व्यापक रचनात्मक आकलन से बच्चे के सीखने का पता लगेगा और इससे अनावरोधन का उद्देश्य भी पूर्ण होगा।

नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम– 2009 का पास होना भारत के बच्चों के लिए एक ऐतिहासिक पल था। यह अधिनियम बच्चों को बेहतर बुनियादी शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने का आधार प्रदान करता है। सरकार, शिक्षक, परिवार और समुदायों को मिलकर बच्चों का यह हक पूरा करना है। विश्व में ऐसे कुछ ही देश है जहाँ हर बच्चे को यथासंभव उसकी पूर्ण क्षमता को विकसित

* *वरिष्ठ प्रवक्ता,* डाईट, घुम्मनहेड़ा, एस.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

करने के लिए निःशुल्क और बाल अनुकूल शिक्षा देने की राष्ट्रीय व्यवस्था है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम हमें प्रेरणा देता है और जो बच्चों की बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करता है। पिछले कुछ दशकों में भारत में विशेषकर लड़कियों को स्कूल भेजने सहित बच्चों की शिक्षा पद्धति में अधिक प्रगति हुई है। अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम उन वंचित बच्चों के लिए ठोस मंच प्रदान करता है जो बाल श्रम या प्रवासी बच्चे जैसी परिस्थितियों में जकड़े हुए हैं या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग या अन्य ऐसे ही कारणों से शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। कक्षाओं में भय और चिंता की भावना को मिटाने के लिए शारीरिक दंड पर प्रतिबंध लगाकर और जहाँ तक हो सके मातृभाषा में ही शिक्षण इत्यादि देकर समानता के साथ बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत सहभागी स्कूल प्रबंधन पर ज़ोर दिया गया है। अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 16 के अनुसार कोई भी बच्चा जिसका स्कूल में दाखिला हो गया है उसको किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और न ही निकाला जाएगा जब तक कि वह अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर लेता है। इसका तात्पर्य यह है कि बच्चों को अगली कक्षा में एक वर्ष की पढ़ाई पूरी होने के बाद भेज दिया जाए और किसी भी सूरत में अपनी पिछली कक्षा में नहीं रोका जाए। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठ रहा है कि क्या बच्चों को उसी कक्षा में रोकना उचित है?

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम – 2009 के अनुसार कोई भी सरकारी अथवा निजी स्कूल प्राथमिक स्तर पर किसी भी बच्चे को निष्कासित या अनुत्तीर्ण घोषित नही कर सकता। इसी दिशा में दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले ही इस पर अधिनियम के आधार पर दिल्ली में स्थित एक निजी स्कूल के विरूद्ध निर्णय दिया जिसमें स्कूल से निष्कासित या अनुत्तीर्ण घोषित किए गए बच्चों को वापिस लेना पड़ा था। इतना सख्त कानून बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या इसके संबंध में पहले भी कुछ कहा गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति –1986 ने मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित बातों की सिफ़ारिश की है।

1. रटंत प्रणाली को समाप्त करना
2. सतत एवं समग्र मूल्यांकन करना
3. परीक्षा व्यवस्था में सुधार करना
4. अंक की जगह ग्रेड प्रणाली को मानना

उपरोक्त के संदर्भ में अनावरोधन की नीति को भी जारी रखना।

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट (1991) के अनुसार, "आजकल प्राथमिक स्तर पर अनेक विद्यालयों में कोई भी व्यवस्थित शिक्षार्थी मूल्यांकन प्रविधियाँ नहीं अपनायी जातीं। अधिकांश राज्यों में अनावरोधन या स्वतः कक्षोन्नति की नीति का अनुसरण किया जाता है, जिसके अनुसार बच्चों को पाठ्यक्रम को दोहराने के लिए एक ही कक्षा में नहीं रोका जाता, क्योंकि इसको प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण करे बिना बीच में ही विद्यालय छोड़ जाने का मुख्य कारण माना गया है तथा यह देखा गया है कि कई शिक्षक 'अनावरोधन' का अर्थ 'कोई परीक्षण नहीं' के रूप में लगाते है और बच्चों का मूल्यांकन

बिल्कुल नही करते, जिसके परिणामस्वरूप जब तक बच्चे प्राथमिक स्तर की अंतिम कक्षा में नही पहुँच जाते, प्रायः किसी को भी उनके सीखने की स्थिति का पता नहीं होता।"

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा – 2005 ने मूल्यांकन के आशय इस तरह रखे हैं कि मूल्यांकन का प्रायोजन यह नहीं है कि —

- बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना।
- उन बच्चों को नाम देना जैसे धीमी गति से सीखने वाला, होशियार, समस्यात्मक विद्यार्थी ऐसे विभाजन अधिगम की सारी ज़िम्मेदारी विद्यार्थी पर डाल देते है।
- मूल्यांकन की प्रक्रियाएँ जो केवल कुछ ही योग्यताओं को मापती और आकलित करती हैं बिल्कुल ही अपर्याप्त हैं।

उपरोक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा का अधिकार कानून और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या बिल्कुल यह सिफ़ारिश नहीं कर रहे है कि बच्चों को बिना मूल्यांकन के अगली कक्षा में भेज दिया जाए। जबकि इनकी सिफ़ारिशें मूल्यांकन के लिए एकदम स्पष्ट हैं। अनावरोधन की नीति, शिक्षा का अधिकार कानून – 2009 के आने से पहले 25 राज्यों में अपनाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, प.बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में यह नीति कई वर्षों से चल रही है।

हम सभी सोच रहे हैं कि यदि बच्चों का मूल्यांकन नहीं करें और उनको कक्षोन्नति कर दें तो क्या यह शिक्षा की गुणवत्ता पर असर नहीं डालेगा?

ऐसा इसलिए सोचा जा रहा है क्योंकि बच्चे तो आगे बढ़ते जाएँगे चाहे वे कुछ भी सीख न रहे हो?

यह एक अहम अनुभव है क्योंकि हम सदियों पुरानी अनुत्तीर्ण व निष्कासित करने की प्रथा से मानसिक रूप से ग्रस्त हैं। यह धारणा है कि 'बच्चों को अनुत्तीर्ण करके उसी कक्षा में रखने से अगले वर्ष उसका शिक्षा का स्तर बढ़ेगा।' शोध ने यह बताया है कि अनावरोधन वाले बच्चों का उपलब्धि स्तर फ़ेल हुए बच्चों के उपलब्धि स्तर से बेहतर होता है तथा फ़ेल हुए बच्चों में नकारात्मक सोच विकसित होती है। कृष्णमूर्ति (1971) के अनुसार यदि किसी बच्चे को कक्षा में फ़ेल कर दिया जाता है तो यह उसके लिए सज़ा है। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों के सीखने में सुधार के रूप में होना चाहिए। एक गरीब घर के बच्चे को अगर फ़ेल किया जाता है तो सामाजिक भेदभाव के कारण ज़्यादा संभावना यह है कि बच्चे स्कूल आना ही बंद कर दें। यह एक तरीका है उन बच्चों को शिक्षा से छंटनी करने का जिन्हें हम मंद बुद्धि या पढ़ाई में कमज़ोर होने का ठप्पा देते हैं इन ठप्पों के पीछे वास्तव में स्कूली व्यवस्था की कमी अधिक प्रखर है न कि बच्चों की कोई प्राकृतिक आंतरिक कमी।

अनावरोधन की नीति के पीछे शैक्षिक दर्शन यह है कि बच्चा नियमित रूप से यदि विद्यालय आता है तो उसके सीखने के स्तर को लगातार परखा जाए और यदि उसको सीखने में दिक्कत आती है तो समस्या ज़रूरी नहीं कि बच्चे में है यह कहीं और है। इसके लिए बच्चे को फ़ेल करने की सज़ा नहीं देनी चाहिए। विद्यालय को बच्चे के सीखने में आई दिक्कत को

खोज कर सुधार हेतु कार्य करने चाहिए। इस तरह की प्रक्रिया तभी संभव है जब बच्चे का पूरी तरह से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाए।

सतत एवं समग्र मूल्यांकन, सीखने का नहीं होना चाहिए, जो परिणाम-आधारित है, यह होना चाहिए सीखने के लिए जो सीखने की प्रक्रिया पर आधारित है।

यदि सतत एवं समग्र मूल्यांकन को सही रूप से कार्यान्वित किया जाए तो बच्चों के सतत सीखने की प्रक्रिया को परीक्षाओं के भार से बचाकर बहुत बेहतर बनाया जा सकता है।

किस तरह से सतत एवं समग्र मूल्यांकन बच्चों के अनावरोधन के द्वारा गुणवता युक्त शिक्षा दे सकता है?

एक अच्छी मूल्यांकन और परीक्षा पद्धति सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन सकती है बच्चों का आकलन करने का प्रायोजन सीखने-सिखाने की प्रक्रियाओं एवं सामग्री का सुधार करना है और उन लक्ष्यों पर पुनर्विचार करना है जो विद्यालय के विभिन्न चरणों के लिए तय किए गए हैं। यह पुनर्विचार और सुधार इस आधार पर किया जा सकता है कि विद्यालयों की क्षमता किस हद तक विकसित हुई है।

यहाँ आकलन का अर्थ बच्चों की नियमित परीक्षा नहीं है, बल्कि दैनिक गतिविधियाँ और अभ्यास के उपयोग से सीखने का आकलन करना है। सुनियोजित आकलन और नियमित प्रगति रिपोर्ट बच्चों को उनके काम की प्रतिपुष्टि देते हैं। ऐसा आकलन बच्चों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन नहीं देता है और बच्चों में विभाजन करके उन्हें ऐसी श्रेणियों में नही डालता है जिससे उनमें हीन भावना आ जाए। ऐसा करने से बच्चों में फ़ेल होने का भय खत्म हो जाता है। प्रगति पत्र तैयार करने से शिक्षक को अपने प्रत्येक बच्चे के बारे में यह सोचने का मौका मिलता है कि उसने सत्र के दौरान क्या सीखा और किस क्षेत्र में उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है? ऐसे प्रगति पत्र लिखने के लिए शिक्षक को प्रत्येक बच्चे के बारे में सोचना होगा और इसलिए रोज़मर्रा के शिक्षण के दौरान उस पर ध्यान देना होगा। इसके लिए विशिष्ट परीक्षाओं की ज़रूरत नही है। अवलोकन के आधार पर दैनिक दैनंदिनी रखने से और सीखने की संप्राप्ति आधारित आकलन से सतत एवं समग्र मूल्यांकन में मदद मिलती है और अनावरोधन का उद्देश्य पूर्ण होता है।

वर्ष के अंत में बच्चों को पास और फ़ेल घोषित करने से उन अवधारणाओं में सुधार नहीं होता है जिन्हें बच्चे समझ नहीं पाते हैं। यदि हम चाहते है कि बच्चे सीखे तो सीखने की प्रक्रिया में रचनात्मक आकलन पर ज़ोर देना होगा। सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में सीखने की संप्राप्ति, जोकि पहले से कक्षा और विषय स्तर पर तय कर दिए गए हैं, के द्वारा बच्चों के सीखने को कभी भी आँका जा सकता है। यही आकलन सबसे महत्वपूर्ण है जिसमें यह पता लगाना आवश्यक है कि बच्चा कुछ सीख भी रहा है या नहीं। योगात्मक आकलन के द्वारा तो सीखने के परिणाम ही प्राप्त होते हैं। लेकिन सीखने का पता तो रचनात्मक आकलन से ही पता लगता है और जब पता लगता है तब तक कक्षा स्तर पर देर हो चुकी होती है। यहाँ पर यह ज़रूरी है कि शिक्षक के द्वारा बच्चों के रचनात्मक और योगात्मक आकलन के बीच की खाई को भरा जाए।

इसके लिए शिक्षक बच्चों के लगातार रचनात्मक आकलन करें, जिसमें निदानात्मक उपाय के साथ साथ त्रुटियों के उपाय भी शामिल हों।

सीखने की संप्राप्ति के द्वारा आकलन के मापदंड तय हो गए हैं। इसके द्वारा शिक्षक को यह समझना होगा कि बच्चों के सीखने का स्तर क्या है? ज़वाबदेही तय हो चुकी है। शिक्षक, माता-पिता और समुदाय के लोगों को अब ज़वाब देना होगा। इसके लिए शिक्षक को बच्चों के ज्ञान सृजन के लिए अर्थपूर्ण कार्य देना होगा तथा समूह कार्य, सहपाठियों द्वारा सीखना, सहपाठी आकलन जैसी बहुत सी युक्तियाँ भी अपनानी होगी। शिक्षक को बच्चों के सीखने के अनुसार सीखने की प्रक्रिया बनानी होगी जैसे कुछ बच्चे जिन्हें सीखने में अधिक सहायता चाहिए उनसे शिक्षक को अधिक अन्त:क्रिया करनी होगी और उन्हें उस स्तर तक पहुँचाना होगा जहाँ से वे अपना ज्ञान सृजन कर सकें। कक्षा में कुछ बच्चे जल्दी सीख लेते हैं ऐसे बच्चों को सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में बनाए रखने के लिए शिक्षक को उन्हें अतिरिक्त और सहायक सामग्री देनी होगी। सीखने-सिखाने की ऐसी प्रक्रिया से कैसे एक बच्चा बिना कुछ सीख कर अगली कक्षा में चला जाएगा? ऐसा करने से बच्चों को किसी कक्षा में नहीं रोके जाने का औचित्य भी पूर्ण होता है।

निष्कर्ष

सभी बच्चे सीख सकते हैं लेकिन वे शिक्षा व्यवस्था के कारण ही नही सीख पा रहे हैं तो फिर ऐसे बच्चों को किसी कक्षा में रोके जाने का औचित्य भी नही है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे अगली कक्षा में सीख कर जाएँ। सीखने की संप्राप्ति के मापदंड अनुसार सीखने की प्रक्रिया बनानी होगी और रचनात्मक आकलन करके बच्चों के सीखने को प्रभावशाली बनाना होगा।

संदर्भ सूची

एन.सी.ई.आर.टी. 2000. विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली.

———. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. एन.सी.ई.आर.टी. नयी दिल्ली.

———. 2007. 'शिक्षा के लक्ष्य एवं पाठ्यचर्या बदलाव के लिए व्यवस्थागत सुधार.' *राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र*. एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली.

———. 2007. 'परीक्षा प्रणाली में सुधार.' *राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र*. एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली.

———. 2009. 'पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें.' *राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र*. एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली.

भारत सरकार. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986*. शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नयी दिल्ली.

———. 1993. *शिक्षा बिना बोझ के* शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय सलाहकार समिति की रिपोर्ट. नयी दिल्ली.

यूनीसेफ 2011. *निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न*. यूनीसेफ.